

Balra
05/5/17
3.00 PM

पत्र संख्या-वनभूमि-08/2017- 1896

व0प0

**झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 05/5/2017

विषय:- J.U.S.N.L. द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल अंतर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 K.V. D/C Transmission Line निर्माण हेतु कुल-16.2635 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-296 दिनांक-20.04.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में निम्नांकित त्रुटियाँ परिलक्षित होती हैं :-

- (1) प्रस्ताव के साथ संलग्न पार्ट-I एवं II भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में नहीं है।
- (2) देवघर वन प्रमंडल में प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन से संबंधी Land Schedule में अधिसूचित वनभूमि शून्य तथा जंगल-झाड़ भूमि को 5.5529 हे० दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव के पार्ट-II में अधिसूचित वनभूमि का रकबा 2.0850 हे० तथा जंगल-झाड़ भूमि का रकबा 3.4679 हे० उल्लिखित है। तदनुरूप देवघर वन प्रमंडल संबंधी Land Schedule में सुधार आवश्यक होगा।
- (3) उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा जामताड़ा जिला में प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के अंतर्गत निर्गत प्रमाण-पत्र भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित Form-II में है, जबकि इसे Form-I में निर्गत किया जाना अपेक्षित है।
- (4) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में त्रुटियों का निराकरण कर निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/मंतव्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय:-

- (क) विहित प्रपत्र में पार्ट-I एवं पार्ट-II की हस्ताक्षरित प्रति।
- (ख) देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि का यथा संशोधित Land Schedule।
- (ग) जामताड़ा वन प्रमंडल से संबंधित वनभूमि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (Form-I) में FRA संबंधित प्रमाण पत्र।
- (घ) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य।

विश्वासभाजन

05/5/17

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 335

दिनांक 05/5/17

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल,
बोकारो/देवघर/दुमका/वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका/देवघर/जामताड़ा/धनबाद/सहायक
महाप्रबंधक, पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, A/360, ममता भवन, अशोक नगर, रोड
नं०-4B, राँची-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक-सह-उप निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. S. S. 17